

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1944 (श0) (सं0 पटना 632) पटना, सोमवार, 29 अगस्त 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 अगस्त 2022

एस॰ ओ॰ 172. दिनांक 29 अगस्त 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (बिहार अधिनियम — 12, 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ॰ 212, दिनांक 8 मई, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 598, दिनांक 8 मई, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के दुसरे पैरा में, चौथे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

''परन्तु यह और कि उक्त व्यक्ति 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्वानिधारित कर के संदाय के ब्यौरो के विवरण को बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी -08 में 31 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत करेगा।"

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—15)2341)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

29 अगस्त 2022

एस॰ ओ॰ 172. दिनांक 29 अगस्त 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—15) 2341)] बिहार राज्यपाल के आदेश से,

> डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 29th August 2022

S.O. 172, Dated 29th August 2022— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 212, dated the 8th May, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 598, dated the 8th May, 2019, namely:–

In the said notification, in the second paragraph, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter ending 30th June, 2022 till the 31st day of July, 2022.".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-15) 2341)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 632-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in